सरकार के नोटिफिकेशन जारी ना करने से ठेका श्रमिकों में आक्रोश

■ थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री को रिमाइंडर पत्र भेजा

कोटा, (निसं)। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिये हिन्द मजदूर सभा से संबंद्ध थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री को रिमाइंडर पत्र भेजा गया।

एचएमएस के प्रदेश सचिव एवं थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष आज़ाद शेरवानी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर राज्य के असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों में सरकार की बेरुखी से मायूसी छाई हुई है बढ़ी हुई दर का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से ना ही नई दर मिल पा रही है और ना ही 1 जनवरी 2023 से अब तक बाईस माह के एरियर का भुगतान हो पा रहा है।

इस खुशियों भरे पर्व पर अपना भुगतान ना मिल पाने से श्रमिकों में भारी आक्रोश है 2022 के बाद से अभी तक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी बढ़कर नहीं मिली है नई घोषित दर जो 1 जनवरी 2023 से बढ़नी थी वो सिर्फ़ घोषणा मात्र बनी हुई है संगठन के बार-बार मांगपत्र देने के बावजूद लागू, करने के लिये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है अब तक 2024 की नई मजदूरी दर घोषित हो जानी चाहिये थी।

मगर नई घोषणा तो दूर पूर्व घोषित दर भी मजदूर को मिले ऐसी कोशिश भी नहीं हो रही है सरकार को चाहिये की बढ़ी हुई मजदूरी 26 रुपये का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करके बढ़ी हुई दर लागू करवाये ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना बकाया एरियर मिले और दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनायें।

कोटा की इशिता ने देश का मान बढ़ाया, लंदन में सम्मानित हुई

लंदन के ग्रॉस विनर हाउस में आयोजित जॉन लॉक ग्लोबल अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान इशिता पाण्डेय को सम्मानित किया गया।

कोटा, (निसं)। कोटा की होनहार छात्रा इशिता पांडेय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए भारत का नाम रोशन किया है। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित जॉन लॉक ग्लोबल एस्से अवार्ड समारोह 2024 में इशिता ने तीन विषयों-इतिहास, राजनीतिशास्त्र और दर्शनशास्त्र में मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया। लंदन के ग्रॉस विनर हाऊस में आयोजित समारोह में जॉन लॉक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉ.जेमी व्हाइट और डायरेक्टर जनरल मॉर्टिन कॉक्स ने इशिता को सम्मानित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस थीं।

सर्जन डॉ. विदुषी शर्मा और डॉ. सुरेश पांडेय की पुत्री इशिता इंटरनेशनल स्कूल, जयपुर की 12वीं कक्षा की छात्रा है। डॉ.सुरेश पाण्डेय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विश्वभर के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 34,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इशिता भारत की पहली छात्रा हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में तीन विषयों में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। जॉन लॉक ग्लोबल अवॉर्ड ज्यूरी कमेटी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऐस्सेज (निबंध) वाले विद्यार्थियों को लंदन आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इशिता पाण्डेय ने अपनी दोनों पुस्तकें 'ए विण्डो टू द वर्ल्ड ऑफ वण्डर' एवं 'ड्रीम बिग-फ्लाई हाई- 55 जर्नी टू इंसपायर यंग माइंड्स' नामक पुस्तकें भी भेंट की। जॉन लॉक इंस्टीट्यूट का नाम 17वीं सदी के ऑक्सफोर्ड दार्शनिक जॉन लॉक के नाम पर रखा गया है, जो एक राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और चिकित्सक थे। इस उपलब्धि पर जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन डॉ. जयश्री पेरीवाल और सीईओ आयुष पेरीवाल ने भी इशिता सहीत परिजनों, सोशल मीडिया और शहर के विभिन्न कोनो से बधाई प्रेषित की जा रही है। इशिता की इस उपलब्धि ने न केवल कोटा सहित पूरा देश गौरवांत है।

'फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना लगेगा'

कोटा, (निसं)। पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम के तहत फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिसका उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रूपये, 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों पर 5000 रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार रमेश चंद चंडक ने बताया कि कोटा जिले में खरीफ फसलों की कटाई करने के कारण खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाएँ बढ़ सकती है।

फसलों के अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरता शक्ति घटने के साथ ही मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है। परिणामस्वरूप उन्नत किस्मों, उर्वरकों का समुचित प्रयोग करने के उपरांत भी फसलों की पैदावार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही, फसल अवशेष (पराली) जलाने से विभिन्न हानिकारक गैसे जैसे मिथेन, कार्बन डाईआक्साईड, सल्फर डाई आक्साईड भारी मात्रा में वातावरण में फैलने से मनुष्यों में कैंसर, अस्थमा तथा अन्य हानिकारक बीमारियां होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय मृदा में मिला देने से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होगा। फसलों की पैदावार बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य लम्बे समय तक अच्छा बना रहेगा। इसके लिए, कृषि विभाग द्वारा कृषकों को समय-समय पर समझाईश की जा रही है। इसके बावजूद भी यदि कृषक खेतों में पराली जलाते हैं तो प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाएगी।

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांकः एफ 7/डी.टी.पी./2024/2278 **विज्ञप्ति** दि. 18.10.2024

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु न्यास मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड/खसरा सं. व योजना/ ग्राम का नाम	मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)
1.	मैसर्स गोपाल स्प्रिट्स एण्ड बेवेराईज एलएलपी जरिये पार्टनर श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा	खसरा संख्या 342, 343, 345 ग्राम तालेड़ा	परिधि नियंत्रण पट्टी	औद्योगिक	30837 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

विज्ञापन सं.R/12/2024

संस्थान में सेफटी अधिकारी (Safety Officer) पद के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण एवं अद्यतन जानकारी के लिए-
http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions पर जाएं।

CBC 21255/12/0011/2425 कुलसचिव/Registrar

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी जिला-बून्दी

क्रमांक :- कृउमस- बून्दी/आवंटन/बून्दी/2024-25/685-705 दिनांक :- 17/10/2024

संशोधित आवंटन विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी के मुख्य मण्डी प्रागंण कुंवारती में चिन्हित एवं रिक्त भूखण्डों का अचल सम्पत्ति आंवटन नीति 2005 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अन्तर्गत द्वितीय एवं पश्चावर्ती चरण में 99 वर्षीय लीज पर आवटंन किये जाने हेतु मण्डी समिति बून्दी द्वारा आवंटन विज्ञप्ति क्रमांक 655-679 दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई थी। उक्त आवंटन विज्ञप्ति मे भूखण्डो का आरक्षण निम्नानुसार पढा जावे एवं आवंटन विज्ञप्ति की अवधि 15 दिवस के स्थान पर 30 दिवस पढा जावे। :- आवंटन योग्य रिक्त भूखण्डों का नीति अनुरूप आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार पढा जावे :-

1. स्थानीय मण्डी क्षेत्र के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी के सामान्य वर्ग मे 30 के स्थान पर 34
2. स्थानीय मण्डी क्षेत्र के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी के निः शक्तजन वर्ग मे 02 के स्थान पर 01
3. अनुसूचित जाति के सामान्य वर्ग मे 08 के स्थान पर 07
4. अनुसूचितजन जाति के सामान्य वर्ग मे 07 के स्थान पर 06
5. अनुज्ञापत्रधारी तेल मिल व अन्य जिन्स प्रसंस्कण इकाइयां (मण्डी से बाहर) के सामान्य वर्ग मे 04 के स्थान पर 03

अतः उक्तानुसार ही आवंटन प्रक्रिया मे आरक्षण किया जावेगा एवं शेष शर्ते यथावत रहेगी।

राज.संवाद/सी/24/6719 प्रशासक सचिव

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर

131 वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा

रंगोली, मांडना एवं मेहंदी प्रतियोगिता
दोपहर 12 बजे | नगर निगम कार्यालय परिसर

श्री राम कथा
(कथावाचक पूज्य पं. विजय शंकर मेहता जी)
दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक | श्री राम रंगमंच | प्रायोजक: के.डी.ए.

बेस्ट ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता
रात्रि 7 बजे। विजयश्री रंगमंच

भजन संध्या
प्रस्तुतकर्ता श्री लखबीर सिंह लक्खा
रात्रि 8:30 बजे | विजय श्री रंगमंच | प्रायोजक: विमल इलायची

दिनांक : 19 अक्टूबर 2024, शनिवार

गरिमामयी उपस्थिति
श्री संदीप शर्मा
माननीय विधायक, कोटा दक्षिण

आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं

विनीत : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, मेला समिति
नगर निगम दक्षिण-उत्तर परिवार

'गरिमा पेटी में प्राप्त शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई करें'

कोटा, (निसं)। शिक्षा विभाग की जिला निष्पादन समिति की शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी ने विद्यालयों में लगी गरिमा पेटी में प्राप्त शिकायतों के बारे में सभी सीबीईओ से जानकारी मांगी।

उन्होंने गरिमा पेटी ऐसी जगह लगाने के निर्देश दिए, जहां छात्र-छात्राओं की पहुंच आसान हो और वे बिना झिझक के अपनी शिकायत पेटी में डाल सकें। उन्होंने पेटी खोलने की वीडियोग्राफी करने, प्राप्त शिकायतों पर निष्पक्षता से कार्रवाई करने तथा शिकायत करने वाले पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए। डॉ.गोस्वामी ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में टॉयलेट्स पर ताले नहीं लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी विद्यालय में टॉयलेट गंदा मिलने एवं उस पर ताला लगा पाए जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य को चार्जशीट दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में सभी को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीचर्स के टॉयलेट साफ हों और बच्चों के टॉयलेट्स में सफाई नहीं हो ऐसा किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए। साथ ही, जहां छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं है उन विद्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कम्युनिटी टॉयलेट बनवाने के प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने समग्र शिक्षा अभियान सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद के माध्यम से जिन विद्यालयों में मरम्मत एवं अन्य सिविल कार्य चल रहे हैं उनकी सूची सभी सीबीईओ को उपलब्ध कराने एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए 10-12 बिंदुओं की एक चेकलिस्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीईओ, प्रधानाचार्य एवं संबंधित अभियंता चेक लिस्ट के आधार पर गुणवत्ता जांचें। गुणवत्ता जांच कैसे करनी है इस संबंध में उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग कराएं। डॉ. गोस्वामी ने मिड-डे-मील निरीक्षण एवं प्राप्त कमियों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील निरीक्षण औचक हो एवं निरीक्षण करने वाले खाना चखकर उसकी गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। विद्यालयों में अस्पृश्यता से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता लेते हुए उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोटा के धावक शक्ति सिंह ने स्पार्टाथलॉन मैराथन पूरी कर भारत का मान बढ़ाया

■ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सम्मानित किया

कोटा, (निसं)। ग्रीस में आयोजित 42वीं स्पार्टाथलॉन मैराथन को कोटा के बजरंग नगर निवासी धावक शक्ति सिंह हाड़ा ने सफलतापूर्वक पूरी कर भारत का मान बढ़ाया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शक्ति सिंह हाड़ा को इस उपलब्धि पर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शक्ति सिंह हाड़ा ने विश्व में कोटा एवं भारत का नाम रोशन किया है।

इस अवसर पर रनिंग रॉक्स के सदस्य एवं इन्द्रा विहार विकास समिति के सचिव अशोक लड्ढा भी मौजूद थे। इस मैराथन में विश्व के 395 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ने भाग लिया था, जिसमें 193 धावक सफल रहे। भारत की तरफ से पूर्व सैनिक शक्ति सिंह हाड़ा ने अन्य धावकों के साथ भाग लिया था।

हाड़ा ने बताया कि विश्व की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथनों में से एक 42वीं स्पार्टाथलॉन 28 सितंबर को सुबह 7 बजे स्पार्टा एथेंस से प्रारंभ हुई।

इसमें 246 किलोमीटर की दूरी 36 घंटे में पूरी करने की चुनौती थी परन्तु उन्होंने पूरी दौड़ 35 घंटों में पूरी कर ली। इस दौरान उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। शक्ति सिंह ने बताया कि स्पार्टाथलॉन केवल एक लंबी दौड़ नहीं है, बल्कि यह धावकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की एक कठोर परीक्षा है।

लगभग 246 किलोमीटर का मार्ग विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरता है। जिसमें पहाड़ी इलाके, तेज धूप और रात की ठंड शामिल हैं। जहां दिन में तापमान लगभग 40 डिग्री तक पहुंच जाता था तो रात में 10 डिग्री की ठंड में उन्हे दौड़ना होता था।

प्रतियोगिता हुई

कोटा, (निसं)। प्रगति इंटरनेशनल स्कूल पुलिस लाइन कोटा में रैम-ओ-राईम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें किंडरगार्डन के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने ट्रैफिक लाईट, रेड बैलून, मामा डार्लिंग, आउट इन द गार्डन, बाय माय सेल्फ इत्यादि कविताओं को विभिन्न प्रकार के मॉडलों एवं भाव भंगिमाओं के साथ आकर्षक ढंग से आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	90312470	सम्पत्ति पर ऋण	1. गणेश कुमार जांगिड 2. चन्द्रकला जांगिड	27.09.2024	9,14,873.55/-

सम्पत्ति पता- सम्पत्ति पट्टा नं. 15481 दिनांक 22.01.2022 क्षेत्रफल 1638 वर्गफिट, ग्राम-ओवान, ग्राम पंचायत-ओवान, पंचायत समिति-हिन्डोली, तहसील-हिन्डोली, जिला-बूंदी, राजस्थान-323024 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-नन्दा जी गुर्जर का मकान, पश्चिम-लादू लाल जी खाती का मकान, उत्तर-श्योजी गुर्जर का मकान, दक्षिण-आम रास्ता

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	90702677	गृह ऋण	1. रंगलाल 2. नोसर बाई	27.09.2024	2,64,249.33/-

सम्पत्ति पता- सम्पत्ति पट्टा नं. 1249 क्षेत्रफल 2250 वर्गफिट, ग्राम पंचायत- बडा नया गांव, पंचायत समिति- हिन्डोली, जिला-बूंदी, राजस्थान-323024 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व- स्वयं की भूमि, पश्चिम- स्वयं की भूमि व आम रास्ता, उत्तर- बजरंग लाल की भूमि, दाणि- ओम प्रकाश का मकान

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 19.10.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- बूंदी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम जसमीत कोहली से बदलकर नया नाम जसमीत कौर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-जसमीत कौर पत्नी स्वर्गीय मन्दीप सिंह 402 ओरिएन्ट प्राईम प्लाट नं. 18 वल्लभ नगर गुमानपुरा कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम ABDUL AJIJ से बदलकर नया नाम ABDUL AZIZ रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-अब्दुल अजीज पुत्र जमील अहमद सरस्वती स्कूल के पास कच्ची बस्ती अनन्तपुरा कोटा

खोया पाया

तूफान सिंह नागर पुत्र धन्नालाल 2-B-2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुनेल का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र गुम हो गया है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

कार्यालय नगर पालिका रामगंजमंडी जिला कोटा (राज.)

क्रमांकः न.पा.रा./2024/2498-99 दिनांकः 18.10.2024

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना में पट्टा नियमन आवंटन बाबत निम्न पत्रावलिया प्राप्त हुई है। उक्त पत्रावलियों में पट्टा दिये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के सात दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रुप में प्रस्तुत कर दें। समयवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पता	राजस्व ग्राम मय खसरा नं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	कॉलोनी का नाम
1	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमंडी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	39	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
2	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमंडी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	42	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
3	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमंडी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	41	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
4	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमंडी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	40	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
5	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमंडी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	44	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
6	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	43	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
7	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	45	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
8	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	46	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
9	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	47	2000 वर्गफुट	कंचन सिटी
10	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	35	1550 वर्गफुट	कंचन सिटी
11	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	36	1500 वर्गफुट	कंचन सिटी
12	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	60	1860 वर्गफुट	कंचन सिटी
13	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	62	1500 वर्गफुट	कंचन सिटी
14	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	61	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
15	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	70	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
16	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	65	1500 वर्गफुट	कंचन सिटी
17	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	71	2400 वर्गफुट	कंचन सिटी
18	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	66	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
19	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	64	1500 वर्गफुट	कंचन सिटी
20	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	69	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
21	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	68	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
22	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	63	1500 वर्गफुट	कंचन सिटी
23	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	67	1800 वर्गफुट	कंचन सिटी
24	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	37	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
25	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	38	1250 वर्गफुट	कंचन सिटी
26	कंचन सिटी इन्फ्रा एंड डवलपर्स जर्ये श्री तेजमल जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन महाजन निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3956/2974 3958/2975 2976 3960/2985	34	996.96 वर्गफुट	कंचन सिटी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रामगंजमण्डी